

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ (राज.)

प्रकरण संख्या- 32/2020

निर्णय दिनांक -17.06.2020

श्रीमति मांगी बाई पति बालुराम जी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।

- प्रार्थी

//बनाम//

1. श्री रामनारायण पिता कालुराम जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरातह0
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढराज0।
2. श्री नन्दलाल पिता श्री लालु जी जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरातह0
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढराज0।
3. श्री रूप सिंह पिता वजेराम जी जातिरावतउम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
4. श्री कन्हैयालाल पिता श्री नाथु जी जातिबैरवाउम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट
आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का फाचर अहीरान तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 78 की आराजी नं0 313 रकबा 0.3200 हैक्टेयर कुल कीता 1 कुल रकबा 0.3200 हैक्टेयर की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 200/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का फाचर अहीरान तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 78 की आराजी नं0 313 रकबा 0.3200 हैक्टेयर कुल कीता 1 कुल रकबा 0.3200 हैक्टेयरकी किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढी करे। पत्थरगढी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 17.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

im

(पंकज शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

